नशे की समस्या कितनी गंभीर : एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण

डॉ. अखिलेश कुमार
स्ना.समाजशास्त्र विभाग,
ति. मां. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर 812007

सारांश

नशे की समस्या आज के समाज में एक गंभीर चुनौती बन चुकी है, जो न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि पारिवारिक और सामाजिक ढांचे को भी प्रभावित कर रही है। ऐतिहासिक रूप से भारत में नशीले पदार्थों का प्रयोग धार्मिक और सांस्कृतिक रीति-रिवाजों में सीमित मात्रा में किया जाता था, लेकिन आधुनिक युग में इसका उपयोग अनियंत्रित हो गया है। भारत की भौगोलिक स्थिति इसे अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के लिए संवेदनशील बनाती है क्योंकि यह दो प्रमुख ड्रग उत्पादक क्षेत्रों—गोल्डन क्रिसेंट (ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान) और गोल्डन ट्रायंगल (थाईलैंड, लाओस, म्यांमार)—के बीच स्थित है। यह स्थिति देश को मादक पदार्थों के उपभोक्ता और तस्करी के मार्ग के रूप में उभारती है। आधुनिक समाज में शराब, हेरोइन, कोकीन, तंबाकू और सिंथेटिक ड्रग्स का बढ़ता उपयोग स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का कारण बन रहा है। नशे की लत से घरेलू हिंसा, अपराध, गरीबी और सामाजिक विघटन बढ़ रहे हैं। साथ ही, यह लीवर सिरोसिस, कैंसर, मानसिक विकार और हृदय रोग जैसी बीमारियों को जन्म दे रहा है। युवाओं के बीच नशे की लत विशेष चिंता का विषय है, क्योंकि यह उनके भविष्य और उत्पादकता को प्रभावित करता है। इस समस्या के समाधान के लिए जागरूकता अभियान, पुनर्वास केंद्रों की स्थापना और कड़े कानूनों का पालन आवश्यक है ताकि समाज को इस विनाशकारी प्रवृत्ति से बचाया जा सके।

अवधारणा

आज भारत बुरी तरह से नशे की समस्या से जूझ रहा है। यह बेहद जटिल और बहुआयामी मुद्दा है जो देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक ताने बाने को क्षति पहुँचा रहा है। नशीली दवाओं की लत लगातार बढ़ने से निजी जीवन में अवसाद, पारिवारिक कलह, पेशेवर अकुशलता और सामाजिक सह-अस्तित्व की आपसी समझ मे समस्याएं सामने आ रही हैं। हमारे युवा नशे की लत के ज्यादा शिकार हैं। चूँकि युवावस्था में कैरियर को लेकर एक किस्म का दबाव और तनाव रहता है। ऐसे में युवा इन समस्याओं से निपटने के लिए नशीली दवाओं का सहारा लेता है और अंततः समस्याओं के कुचक्र में फंस जाता है। इसके साथ ही युवा एक गलत पूर्वधारणा का भी शिकार होते हैं। उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर धुएँ के छल्ले उड़ाना और महँगी पार्टीज में शराब के सेवन करना उच्च सामाजिक स्थिति का प्रतीक भी जान पड़ता है। विद्यार्थियों के रहने की जगहों के आसपास आप अक्सर नशे के व्यापार को देखते-सुनते भी होंगे।

यदि भारत सरकार के नशे की स्थिति पर हालिया आंकड़ो को देखें तो ये बेहद चौंकाने वाले है। यहाँ की 10 फीसदी से अधिक आबादी अवसाद, न्यूरोसिस और मनोविकृति सहित मानसिक विकारों से पीड़ित है। इसके साथ ही प्रत्येक 1000 में से 15 व्यक्ति नशीली दवाओं का सेवन करते हैं और प्रत्येक 1000 में से 25 लोग क्रोनिक अर्थात

स्थायी शराब सेवन के शिकार हैं। भारत में मनोरोग और नशा मुक्ति बिस्तर की उपलब्धता आवश्यक संख्या का केवल 20% है। इस प्रकार, देश भर में 80% मनोरोगी और नशा की समस्या से पीड़ित रोगियों को अस्पताल की सुविधा भी मयस्सर नहीं होती।

आपने अक्सर एक शब्द सुना होगा कि फलां इंसान नशे का लती है! तो आखिर नशे की लत क्या है?

इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब नशीली दवाओं का दुरूपयोग किसी व्यक्ति के सामान्य और पेशेवर जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करता है तो उसे नशे का लती कहा जाता है। यह न सिर्फ नशे का आदी व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन लाता है बल्कि उसके आसपास रहने वाले व्यक्तियों के व्यवहार में भी चिड़चिड़ापन ला देता है। सामान्य शब्दों में कहे तो ऐसे व्यक्ति अपने आसपास के समाज पर एक 'लहर प्रभाव' उत्पन्न करता है जिसके कारण शनै:-शनै: सामाजिक ताना बाना बिगड़ता जाता है। नशे की लत इतनी ज्यादा खतरनाक है कि कई बार लोग इसके अति सेवन से और न मिलने पर आत्महत्या तक कर डालते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार नशे की लत के कारण वर्ष 2021 में 10 हजार से अधिक लोगों ने अपने जीवन की लीला को समाप्त कर लिया। एनसीआरबी की रिपोर्ट में महाराष्ट्र पिछले कुछ सालों में लगातार इस मामले में सबसे ऊपर रहा है। इस राज्य में साल 2021 में 2,818 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश इस मामले में दूसरे स्थान पर है, जहां कुल 1,634 लोगों की मौत इस कारण हुई। कर्नाटक में जहां 2015 में 100 से कम मामले थे, वहां अधिक वृद्धि देखी गई है। अन्य तीन राज्यों में भी लगातार वृद्धि देखी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि नशा “अंतिम कारण” के रूप में काम कर सकता है, जबकि मानसिक स्थितियों, पारिवारिक समस्याओं और आर्थिक परेशानियों जैसे मुद्दे पीड़ितों को यह कदम उठाने की ओर धकेल सकते हैं।

नशे के कारण होने वाली मौतों की गंभीरता को समझते हुए केंद्र सरकार ने 1995 में ऐसी मौतों के आंकड़े को अलग करना शुरू किया था, जब नशे के कारण 745 आत्महत्याएं हुई थी। 2016 के बाद से नशे से प्रेरित आत्महत्याओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रत्येक वर्ष कम से कम 1,000 और मामले जुड़ते जा रहे हैं। यदि नशे की समस्या से निपटने के लिए किये जाने वाले सरकारी प्रयासों की बात की जाए तो सरकार इस दिशा में काफी कुछ कर रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नशीली दवाओं की मांग में कमी को सुनिश्चित करने हेतु नोडल विभाग है। अगस्त 2020 में नशे की समस्या से निपटने हेतु इसी मंत्रालय के द्वारा भारत के सबसे संवेदनशील 272 जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरूआत भी की गई। इसके साथ ही भारत सरकार नशे के आदी लोगों के लिए नशा मुक्ति केंद्र और पुनर्वास सुविधाएं भी मुहैया करा रही है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय देश में मादक पदार्थों के उन्मूलन हेतु एक रणनीतिक प्रयास कर रहा है। विगत तीन वर्षों में सरकार ने देश के कई राज्यों में 89000 फुटबॉल मैदान के आकार के भाँग और अफीम उत्पादक क्षेत्रों को नष्ट कर दिया है। सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत को "मादक पदार्थ मुक्त" बनाना है।

इसके साथ ही सरकार ने कुछ विधायी उपाय भी किये है। सरकार ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 जैसे विभिन्न कानून बनाए हैं। अन्य कानून नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985 और अवैध व्यापार

की रोकथाम में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट, 1988 आदि हैं। यह कानून दवाओं के निर्माण, वितरण, कब्ज़े और खपत को विनियमित और प्रतिबंधित करते हैं। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985 अधिनियम में नशीली दवाओं के अपराधों के लिये कड़े दंड का प्रावधान है। संस्थागत उपायों के अंतर्गत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI), सीमा शुल्क विभाग आदि जैसे संस्थान बनाए हैं। ये संस्थान ड्रग कानूनों को लागू करते हैं तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करते हैं।

यदि निवारक उपायों की बात की जाए तो सरकार ने नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना, नशा मुक्त भारत अभियान आदि जैसी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की है। नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना का उद्देश्य जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, नशा मुक्ति और पुनर्वास के माध्यम से नशीली दवाओं की मांग को कम करना है। नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य स्कूली बच्चों में नशीली दवाओं के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसके साथ ही सरकार ने निदान और एनसीओआरडी (NCORD) नामक पोर्टल की शुरूआत की है। यह एक डेटाबेस है जिसमें NDPS अधिनियम के तहत गिरफ्तार किये गए सभी संदिग्धों और दोषियों की तस्वीरें, उंगलियों के निशान, अदालती आदेश, जानकारी एवं विवरण शामिल हैं, जिसे राज्य तथा केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है।

हालांकि नशे की समस्या से निपटने हुए भारत के समक्ष पर्याप्त चुनौतियाँ भी हैं। सबसे पहले तो इस दिशा में पर्याप्त बुनियादी ढाँचे का अभाव है। नशीले पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये प्रशिक्षित कर्मियों, विशेष उपकरणों और उचित बुनियादी ढाँचे की कमी है।इसके अलावा भारत में नए साइकोएक्टिव पदार्थों का उपयोग बढ़ रहा है और ये दवाएँ अकसर मौजूदा ड्रग नियंत्रण कानूनों के अंतर्गत नहीं आती हैं। इस कारण से कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिये उन्हें प्रभावी ढंग से विनियमित करना जटिल हो जाता है। इसके अलावा डार्क नेट इजिंग ड्रग ट्रैफिकिंग की भी समस्या सामने आ रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुताबिक, अवैध ड्रग्स में 'डार्क नेट' और क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल बढ़ रहा है तथा वर्ष 2020, 2021 और 2022 में एजेंसी ने ऐसे 59 मामलों की जाँच की है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं लत से खतरों के बारे में जागरूकता और शिक्षा की कमी भी देखी जाती है।

नशीली दवाओं की समस्याओं से निपटने हेतु सरकार को मौजूदा कानूनों के प्रवर्तन को सख्त बनाना होगा। इसके साथ ही निवारक उपायों के प्रभावी उपयोग को भी सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ ही अफीम की खेती एम अवैध रूप से संलग्न किसानों के लिए वैकल्पिक फसल योजना की भी शुरूआत करनी होगी। इस संदर्भ में झारखंड राज्य द्वारा अवैध अफीम उत्पादकों हेतु शुरू की गई वैकल्पिक आजीविका योजना बेहद उल्लेखनीय है। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समन्वय को भी मजबूत करने की दिशा के ठोस कदम उठाने होंगे। सूचना और सर्वोत्तम तरीकों के आदान-प्रदान हेतु संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय तथा इंटरपोल जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी को मज़बूत करना होगा। नवीन प्रौद्योगिकी जैसे बिग डेटा और एनालिटिक्स द्वारा ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क की पहचान तथा ट्रैक करने, ड्रग मूवमेंट की निगरानी करने तथा ड्रग के दुरुपयोग व तस्करी से संबंधित गतिविधियों

की पहचान करने पर ज़ोर देना होगा। इसके साथ ही एक ऐसी ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित करनी होगी जहाँ नागरिक नशीली दवाओं के दुरुपयोग तथा तस्करी की गतिविधियों की वास्तविक समय में रिपोर्ट कर सकें।

फिल्म उड़ता पंजाब में ड्रग्स के नशे में डूबी दुनिया को पर्दे पर उतारा गया है इसमें दिखाया गया है कि नशे के चंगुल में फंस कर किस तरह लोग बर्बादी के कगार पर पहुंच रहे हैं। इन दिनों कुछ ऐसा ही सांचौर शहर के के युवाओं में देखने को मिल रहा है। शहर की युवा पीढ़ी में तेजी से नशे की लत फैल रही है. वहीं जवान हो रही पीढ़ी (12 से 20 साल) में नशे की लत तेजी से फैल रही है। यह नशा शराब या सिगरेट का नहीं है, बल्कि गांजा, कोकीन, अफीम, डेंडराइट, स्मैक और नशीली दवाओं का है। इस तरह का नशा करने की वजह से युवाओं की मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। कई का तो मनो चिकित्सालयों में इलाज भी चल रहा है, वहीं इस नशे के आदि होने के बाद से क्षेत्र में क्राईम भी बढ़ते जा रहे है। बढ़ रहा है क्राइम क्षेत्रमें युवा पिढ़ी द्वारा नशे के ज्यादा आदि हो जाने के बाद से क्षेत्र में चोरी, लूटपाट, मारपीट जैसी घटना लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं अब क्षेत्र में चंद रुपयों के कारण युवाओं लूट करते नजर रहे है। क्षेत्र में पिछले दो वर्षों के आकड़े देखे जाये तो क्षेत्र में हुई चोरी, लूटपाट सहित वारदातों में सबसे ज्यादा युवा वर्ग के आरोपी थे।

आसानी से उपलब्ध स्मैक

शहर के युवाओं के लिए स्मैक खरीदना आसान सी बात है, लेकिन कानून व्यवस्था से जुड़ी पुलिस को इसकी भनक तक नहीं कि अवैध स्मैक का कारोबार शहर में कहां और किस तरह हो रहा है। उपखंड क्षेत्र के हर गांवों में युवाओं स्मैक तस्कर खुलेआम स्मैक बेचते है। एवं अब स्थिति यह बन गई है कि शहर के मुख्य बाजार चौराहों पर भी खुलेआम स्मैक की पुडिय़ां बिकने लगी है। जो 1 ग्राम स्मैक 1500 रुपए में खरीद होती है, जो 4 हजार रुपए तक बिकती है। शहर की रगों में नशा बसता जा रहा है। दिनों दिन नशे की जड़ें मजबूत होती जा रही हैं। कभी चोरी छिपे बिकने वाले नशे का सामान, आज धड़ल्ले से बिक रहा है। स्मैक के धुएं से जवानी सुलग रही और नशीले इंजेक्शन नशों में उतारे जा रहे हैं। शहर की गली-गली में नशे के दीवाने झूमते दिख रहे हैं। सुनसान स्थानों पर स्मैक और नशीले इंजेक्शन लगाते देखे जा सकते हैं। नशे के आदी युवाओं की बर्बादी का मंजर खुलेआम शहर में चलता जा रहा है। वही शहर में सबसे ज्यादा युवाओं के अंदर स्मैक का नंशा फैल रहा है। जो युवाओं के परिवारों को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। कई स्थानों पर हो रही स्मैक की बिक्री युवाओं को बर्बाद कर रही है। महंगा नशा नशेड़ी के साथ ही पूरे परिवार को तबाह कर रहा है। नशे की चपेट में आए युवा 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक स्मैक की एक खुराक पीते पीते सब कुछ लुटने के बाद 10 रुपए के इंजेक्शन और नशीली गोलियों से नशे की प्यास शांत कर रहे हैं।

कुछ दिनों में हो जाते है नशे के आदि

स्मैक का नशा युवाओं के दिलो दिमाग पर इस कदर छा जाता है कि 15 दिन में ये इसके आदी हो जाते हैं। इसकी तलब मिटाने के लिए स्मैकची को जैसे-तैसे स्मैक का जुगाड़ करना पड़ता है। स्मैक नहीं मिलने पर युवाओं में गुस्सा होना, झगड़ा करना इत्यादि आदतें सामान्य हो जाती है। ऐसे में महंगे नशे का शौक पूरा करने के लिए कई युवा अपराध की राह चुन रहे हैं। शहर में स्मैक के आदी कई युवा वर्तमान में भीलवाड़ा जोधपुर के नशामुक्ति केन्द्र में उपचार ले रहे हैं।

ज्यादातार कॉलेज के छात्र भी शामिल

स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे कई छात्र नशेडिय़ों के चंगुल में फंस जाते हैं। शुरू में इन्हें शौक के लिए स्मैक का नशा कराया जाता है। बाद में यह नशा छात्रों के जेहन में इतना उतर जाता है कि वे इसके आदी हो जाते हैं। स्मैकचियों में महाविद्यालय के कई छात्र भी शामिल है। देश में नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए बना कानून इस गैर-कानूनी कारोबार की रोकथाम में कमजोर साबित हो रहा है। इसलिए सख्त क़ानून बनाने के साथ पुलिस प्रशासन का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए।

- नशीले ड्रग्स के कारोबार में संलिप्त लोगों के लिए सजा के प्रावधान त्वरित एवं प्रभावशाली होने चाहिए।
- देश में राज्यों की सीमाओं से नशीले पदार्थों की आवाजाही को रोकने हेतु राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।
- राज्य सरकारों में राजनीतिक विद्वेष की भावना फैलाने वाले नशा माफियाओं को संरक्षण देने पर रोक लगाने की आवश्यकता है।
- दूर-दराज के क्षेत्रों में संचार के साधनों की उपलब्धता को बढ़ाया जाना चाहिए।

नशा कारोबार में महिला गिरोह को नियंत्रित करने के लिए देश में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है। देश की अदालतें महिला अपराधी की गिरफ्तारी महिला पुलिस से ही कराने का पक्षधर हैं, जबकि देश भर में 2800 महिलाओं पर एकमात्र महिला पुलिसकर्मी है। नशीली समाग्री के त्वरित परीक्षण के लिए राज्यों के पास पर्याप्त प्रयोगशालाएं नहीं हैं। जब्त समाग्री की जांच में महीनों लग जाते हैं, जिससे नतीजे सही नहीं आ पाते हैं। इसलिए आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाओं के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

नशीले ड्रग्स की रोकथाम हेतु सरकार के प्रयास :

- NIDAAN और NCORD पोर्टल का शुभारंभ
- ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940
- नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट, (NDPS) 1985
- नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट (PITNDPS), 1988।
- आपरेशन गरुण

नशा माफियाओं पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से सीबीआइ ने इंटरपोल और एनसीबी की मदद से आठ राज्यों में आपरेशन गरुण चालाया था। इस आपरेशन की मदद से हेरोइन, चरस, मेफेड्रोन, स्मैक, नशीले इंजेक्शन, गांजा, अफीम की बड़ी बरामदगी के साथ 6600 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है। करता है जिससे व्यक्ति निर्णय नहीं ले पता है एवं अनावश्यक बातें करता है। समय को सही नहीं पढ़ पाता है।

एक्टेसी (Ecstasy) : इसे MDMA भी कहते हैं। यह Methylenedioxy-N-Methylamphetamine है। यह उत्तेजना पैदा करने वाली दवा है। इससे शरीर का तापमान इतना बढ़ जाता है कि शरीर के अंग जैसे किडनी, हृदय काम करना बंद कर सकते हैं। इसके प्रभाव से व्यक्ति हर उस वस्तु को छूने की कोशिश करता है, जो उसे आनंद प्रदान करे। उसके प्रभाव से मांसपेशियों में खिंचाव, उत्तेजना एवं भ्रम पैदा होता है।

नशे का आदी होने के कारण

मादक द्रव्यों के बढ़ते हुए प्रचलन के लिए आधुनिक सभ्यताओं को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिसमें व्यक्ति यांत्रिक जीवन व्यतीत करता हुआ भीड़ में इस कदर खो गया है कि उसे अपने परिवार के लोगों का भी ध्यान नहीं रहता। नशा एक अभिशाप है। एक ऐसी बुराई जिससे इंसान का अनमोल जीवन मौत के आगोश में चला जाता है एवं उसका परिवार बिखर जाता है। व्यक्ति के नशे का आदी होने के कई कारण हो सकते हैं। ये कारण व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं जिनमें से कुछ मुख्य कारण अधोलिखित हैं-

1. माता-पिता की अति-व्यस्तता बच्चों में अकेलापन भर देती है। माता-पिता के प्यार से वंचित होने पर वह नशे की ओर मुड़ जाता है। परिवार में कलह का वातावरण व्यक्ति को नशे की ओर ढकेल देता है।
2. मानसिक रूप से परेशान रहने के कारण व्यक्ति नशे की आदत डाल लेता है। यह मानसिक परेशानी पारिवारिक, आर्थिक एवं सामाजिक हो सकती है।
3. बेरोजगारी नशा की ओर उन्मुख होने का एक प्रमुख कारण है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। दिनभर घर में खाली एवं बेरोजगार बैठे रहने से व्यक्ति हीनभावना एवं ऊब का शिकार होता है एवं इस हीनभावना व ऊब को मिटाने के लिए वह नशे का सहारा लेने लगता है।
4. शारीरिक कमजोरी व पढ़ने में कमजोर होने के कारण बच्चे उस कमी को पूरा करने के लिए नशे का सहारा लेने लगते हैं।
5. जो व्यक्ति तनाव, अवसाद एवं मानसिक बीमारी से पीड़ित है, वह नशे का आदी हो जाता है।
6. परिवार के व्यक्ति, दोस्त एवं अपने आदर्श व्यक्ति को नशा लेते देखकर युवा नशे का शिकार होते हैं।
7. अकेलापन नशे को निमंत्रित करता है।
8. लोग ये सोचकर नशा लेते हैं कि नशा तनाव को दूर करता है।
9. किसी दूसरे की दवा को स्वयं पर आजमाने से व्यक्ति नशे का आदी हो जाता है। चोट या दर्द की वजह से डॉक्टर दवा लिखता है जिससे आराम मिलता है। जब भी चोट लगती है या दर्द होता है तो वो वह दवा बार-बार लेने लगता है जिससे वह नशे का आदी हो जाता है।
10. पुरानी दुखद घटनाओं को भूलने के लिए लोग नशे का सहारा लेते हैं।
11. लोग सोचते हैं कि ड्रग्स लेने से वे फिट एवं तंदुरुस्त रहेंगे विशेषकर खिलाड़ी इसी कारण मादक द्रव्यों की चपेट में आ जाते हैं।
12. बच्चों में अत्यंत भेदभाव करने पर वो हीनभावना से ग्रसित हो जाते हैं एवं विद्रोहस्वरूप नशे की ओर मुड़ जाते हैं।
13. पत्र-पत्रिकाओं एवं टेलीविजन पर तम्बाकू एवं शराब के विज्ञापनों से प्रभावित होकर बच्चे एवं युवा इनका प्रयोग शुरू कर देते हैं।

भयावह आंकड़े

ग्लोबल एडल्ट टोबेको सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बहुत ही चौंकाने वाली है। भारत का युवा एवं बचपन किस तरह से नशे का शिकार हो रहा है, इसकी बानगी इन आंकड़ों से स्पष्ट झलकती है-

1. भारत में तम्बाकू के द्रव्यों का सेवन करने वालों में खैनी का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। करीब 13% लोग इसका सेवन करते हैं।
2. 2009-10 के ग्लोबल एडल्ट टोबेको सर्वे (विश्व वयस्क तम्बाकू सर्वेक्षण) के मुताबिक भारत में तब 12 करोड़ लोग तम्बाकू का सेवन कर रहे थे।
3. तम्बाकू से होने वाली बीमारियों के इलाज पर 2011 में भारत में 1,04,500 करोड़ रुपए खर्च हुए।
4. एक सिगरेट आपकी जिंदगी के 9 मिनट पी जाती है।
5. तम्बाकू की 1 पीक आपकी जिंदगी के 3 मिनट कम कर देती है।
6. हर 7 सेकंड में तम्बाकू एवं अन्य मादक द्रव्यों से 1 मौत होती है।
7. भारत में हर साल 10.5 लाख मौतें तम्बाकू के पदार्थों के सेवन से होती हैं।
8. 90% फेफड़े का कैंसर, 50% ब्रोंकाइटिस एवं 25% घातक हृदय रोगों का कारण धूम्रपान है।

नशामुक्ति के लिए निम्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं-

1. 31 मई को अंतरराष्ट्रीय तम्बाकू निषेध दिवस।
2. 26 जून को अंतरराष्ट्रीय नशा निवारण दिवस।
3. 2 से 8 अक्टूबर तक मद्यपान निषेध सप्ताह।
4. 18 दिसंबर को मद्य निषेध दिवस।

इन दिवसों पर राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक जागरूकता कार्यक्रमों में अधिक से अधिक नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। नशीले पदार्थों के सेवन से विश्व स्तर पर आपात स्थिति निर्मित हो गई है। नशे के प्रभाव से न केवल एक जीवन, वरन संपूर्ण परिवार का विनाश हो जाता है। शस्त्र एवं पेट्रोलियम उद्योग के बाद अवैध मादक द्रव्यों का धंधा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। नशे के फैलाव से देशों का आर्थिक विकास पिछड़ रहा है एवं समाज में आपराधिक प्रवृत्तियां पनप रही हैं। नशे से लड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पारिवारिक एवं सामाजिक सामूहिक संकल्प की आवश्यकता है, सिर्फ सरकार या नशामुक्ति संस्थाएं इसके लिए पर्याप्त नहीं हैं।

निष्कर्ष :

एक अनुमान के अनुसार, कोरोना काल के बाद देश में तेजी से नशीले पदार्थों की खपत बढ़ी है। बढ़ती जनसंख्या, रोजगार की कमी, छोटे व्यवसायियों के रोजगार छिनने, कार्यस्थलों पर तनाव, बच्चों पर पढ़ाई का बोझ, संयुक्त परिवारों में टूटन से बच्चों और किशोरों का बढ़ता अकेलापन उन्हें नशे की तरफ धकेल रहा है। अगर सरकारें अभी भी गंभीर नहीं हुईं, तो आने वाली पीढ़ियां मानसिक अपंगता के साथ अपराध में प्रवृत्त होंगी। गृहमंत्री ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के नशा निरोधक कार्यबल को सन 2047 तक देश को नशामुक्त करने का संकल्प अवश्य दिलाया है, मगर ये एजेंसियां और पुलिस इतनी सजग और ईमानदार होतीं तो हालात यहां तक न पहुंचते।

सन्दर्भ

1. मेफील्ड आरडी, हैरिस आरए, शुकिट एमए (मई 2008)। "शराब पर निर्भरता को प्रभावित करने वाले आनुवंशिक कारक" । ब्रिटिश जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी । पृष्ठ संख्या-23-27
2. केंडलर केएस, नेले एमसी, हीथ एसी, केसलर आरसी, ईव्स एलजे (मई 1994)। "महिलाओं में शराब की लत का एक जुड़वां परिवार का अध्ययन"।अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकियाट्री। पृष्ठ संख्या-240-245
3. क्रो जेआर. "शराबबंदी के आनुवंशिकी" . अल्कोहल स्वास्थ्य और अनुसंधान दुनिया : 1–11 . 13 दिसंबर 2017 को लिया गया . पृष्ठ संख्या-107-109
4. मेलेमिस एस.एम. "द जेनेटिक्स ऑफ एडिक्शन - क्या एडिक्शन एक बीमारी है?" । मैं अपना जीवन बदलना चाहता हूँ । 17 सितंबर 2018 को लिया गया । पृष्ठ संख्या-73-75
5. मार्कोस ए.सी., बहर एस.जे. (जून 1988)। "नियंत्रण सिद्धांत और किशोर नशीली दवाओं का उपयोग" । पृष्ठ संख्या-21-24
6. स्पीयर एल.पी. (जून 2000)। "किशोरावस्था का मस्तिष्क और आयु-संबंधी व्यवहार संबंधी अभिव्यक्तियाँ"। तंत्रिका विज्ञान और जैव व्यवहार समीक्षा . 24 (4): 417–63.
7. माथुर, एस . एम.(2008) "शिक्षा मनोविज्ञान "अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा । पृष्ठ संख्या 241-425
8. भार्गव ,महेश (2007) " आधुनिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण+मापन" एचपी भार्गव बुक हाउस आगरा । पृष्ठ संख्या -463
9. लाल ,डॉ . जे . एन.(1988) "विकासात्मक मनोविज्ञान" नीलकमल प्रकाशन गोरखपुर। पेज संख्या- 365
10. Indian educational abstracts: July 2002 page no -95-96